न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर।

अपील संख्या 22/2022 (जीसीएमएस नम्बर 2022/170)

1. दौलतराम पुत्र गिरवर जाति मीना, उम्र 57 साल, निवासी रोनीजाथान तहसील कठूमर जिला अलवर राज.।
2. बत्तूराम पुत्र लीलाराम जाति मीना उम्र 30 साल निवासी रोनीजाथान तहसील कठूमर जिला अलवर राज.।
3. नरेन्द्र पुत्र लीलाराम जाति मीना, उम्र 34 साल, निवासी रोनीजाथान तहसील कठूमर जिला अलवर राज.।

– अपीलान्टस

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश महोदय, अलवर राज.।
2. कौशल नियोजन एवं उपभोक्ता विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर राज.।
3. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर राज.।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व 1956 विरुद्ध आदेश अलोटमेंट दिनांक 29.12.2020 कार्यालय जिला कलेक्टर अलवर राज. बाबत आराजी खसरा नंबर 1642 रकबा 1.64 हैक्टेयर में से 0.93 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 1657 रकबा 2.44 हैक्टेयर में से 1.70 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 2.63 हैक्टेयर वाके ग्राम रोनीजाथान, तहसील कठूमर, जिला अलवर राज.।

उपस्थित–

1. श्री विजय सिंह राठौड, वकील अपीलान्ट।
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पों.नं. 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक –18.11.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर अलवर के निर्णय दिनांक 29.12.2020 के खिलाफ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. तथा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 06.06.2022 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि जिला कलक्टर, अलवर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.12.2020 द्वारा जांच अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त उक्त शक्तियों के अनुसरण में आराजी खसरा नम्बर 1642 रकबा 1.64 है० में से 0.93 है० एवं 1657 रकबा 2.44 है० में से 1.70 है० कुल किता 02 रकबा 2.63 है० (6.5 एकड) किस्म बारानी सोयम वाके ग्राम रौनीजाथान, तहसील कठूमर की भूमि की किस्म खारिज कर राजस्थान भू राजस्व (स्कूल, कॉलेज, चिकित्सालय, धर्मशाला आदि सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माणार्थ राजकीय अनाधिवासित भूमि का आवंटन) नियम, 1963 के तहत कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान सरकार को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कठूमर (अलवर) की स्थापना हेतु 99 वर्षों की लीज पर निःशुल्क आंवटित करने के आदेश पारित किये गये हैं।

3. जिला कलक्टर, अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 29.12.2020 से व्यथित होकर अपीलान्टस दौलतराम पुत्र गिरवर वगैरह द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं जिला कलक्टर, अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.12.2020 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का तहत रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. वकील अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 1657 रकबा 2.44 हैक्टयर ग्राम रोनीजाथान, तहसील कठूमर, जिला अलवर राज. मे स्थित है, जिस आराजी पर अपीलाण्ट का कब्जा तीस साल से ज्यादा समय से चला आ रहा है। अपीलाण्ट के विरूद्ध उक्त आराजी की बाबत तहसीलदार कठूमर ने दफा 91 एल. आर. एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए नोटिस जारी किये जिस कार्यवाही में तहसीलदार कठूमर ने अपीलाण्टस का पुराना कब्जा मानते हुए नियमों के तहत नियमन करने की सिफारिश दिनांक 03.12.2004 को कर पत्रावली आवंटन/नियमन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उप जिला कलेक्टर महोदय कठूमर को प्रेषित की। जो पत्रावली आज भी पैण्डिग है। इसके बावजूद तहसीलदार कठूमर द्वारा धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत नोटिस जारी किये। दिनांक 28–08–2019 को बेदखल करने व सिविल कारावास से दण्डित करने के आदेश दिये, जिस आदेश के विरूद्ध अपील अदालत अतिरिक्त जिलाधीश महोदय अलवर के समक्ष पेश की तथा स्थगन आदेश के तहत दिनांक 28.08.2019 के आदेश का प्रचलन स्थगित रखा गया। अपीलांटस द्वारा तहसीलदार कठूमर की कार्यवाही के विरूद्ध एक सिविल वाद प्रस्तुत करना पडा। अदालत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश महोदय, लक्ष्मणगढ द्वारा दिनांक 09.12.2021 को तहसीलदार कठूमर एवं उप जिला कलेक्टर कठूमर को आराजी खसरा नंबर 1657 वाके ग्राम रोनीजाथान, तहसील कठूमर की बाबत मौके की स्थिति यथावत बनाए रखने एवं अपीलार्थी के उपयोग उपभोग में बाधा कारित न करने के लिए मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया हुआ है लेकिन कार्यालय जिला कलैक्टर अलवर द्वारा दिनांक 29.12.2020 को विवादित आराजी खसरा नंबर 1657 में से 1.70 हैक्टेयर भूमि बिना जांच किये व नियमों की पालना न करते हुए रैस्पाडेण्ट नंबर 2 व 3 को निःशुल्क आवंटन बिना अपीलाण्टस को सुने व सुनवाई का अवसर दिये बिना कर दिया। वर्तमान समय में अपीलाण्टस का उक्त आराजी पर कब्जा व अधिकार है। आवंटन आदेश जारी करने से पूर्व पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट पेश हुई। जिस मौका रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा विवादित भूमि पर अतिक्रमण होना व फसल बोई होना बताया है। अदालत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश महोदय लक्ष्मणगढ ने आदेश दिनांक 09.12.2021 में आराजी खसरा नंबर 1657 की मौके की स्थिति यथावत बनाए रखने हेतु अपीलान्टस के उपयोग व उपभोग में व्यवधान नहीं डालने हेतु तहसीलदार कठूमर एवं उप जिला कलेक्टर कठूमर को पाबन्द किया हुआ है। जिससे भी स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्टस संख्या 2 व 3 का उक्त आराजी पर वर्तमान समय में भी कब्जा नहीं है। उक्त आराजी आंवटन के समय खाली नहीं थी। अतः अपीलान्टस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश आंवटन दिनांक 29.12.2020 कार्यालय जिला कलेक्टर अलवर राज. अपास्त फरमाए जाने की कृपा करें। जिला कलेक्टर महोदय, अलवर ने आवंटन करने से पूर्व अपीलाण्टस को सुनवाई का कोई नोटिस नहीं दिया उक्त आराजी में अपीलाण्ट्स के हित निहित है जिस वजह से यह अपील पेश की जा रही है। विवादित आवंटन आदेश में अपीलान्ट को सुनने का अवसर नहीं दिया परन्तु उनके हित उक्त विवादित आंवटन से प्रभावित होते है। इसलिए अपील पेश करने की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र दफा 96 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया जा रहा है। अपीलाण्टस को उक्त आवंटन आदेश की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 08.05.2022 को रेस्पोडेन्ट नंबर 2 व 3 को आवंटन बाबत जानकारी दी तथा अपीलाण्टस को बेदखल कर रेस्पाडेण्ट नंबर 2 व 3 को कब्जा दिलाए जाने बाबत कहा तो अपीलाण्टस ने दिनाक 09.05.2022 कार्यालय जिला कलैक्टर महोदय, अलवर में आकर नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो नकल दिनांक 18.05.2022 को प्राप्त हुई। नकल प्राप्त करने के पश्चात कानूनी सलाह लेने पर यह अपील जानकारी से अंदर अवधि पेश की जा रही है। अपील पेश करने में जो देरी हुई है वह उक्त कारण से हुई है, अतः प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर विलम्ब अवधि को कन्डोन किया जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

6. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 1 ने बहस के दौरान अपीलान्ट की अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2020–21 की अनुपालना में उपखण्ड अधिकारी, कठूमर (अलवर) ने उनके पत्रांक: राजस्व/2020/216 दिनांक 02.09.2020 से आराजी खसरा नम्बर 1642 रकबा 1.64 है० में से 0.94 है० एवं 1657 रकबा 2.44 है० में से 1.70 है० कुल किता 02 रकबा 2.64 है० किस्म बारानी सोयम वाके ग्राम रौनीजाथान तहसील कठूमर की भूमि को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कठूमर (अलवर) की स्थापना हेतु भूमि आवंटन प्रस्ताव जिला कलक्टर कार्यालय को प्रेषित किया।

उक्त प्रस्तावित भूमि के क्रम में उप नगर नियोजक (एनसीआर) अलवर क्षेत्र, अलवर ने उनके पत्रांक एएलआर 1628/कठूमर/20–21/1015 दिनांक 16.12.2020 के द्वारा सशर्त भूमि आवंटन की अनापत्ति जारी की है. अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. खण्ड राजगढ (अलवर) ने उनके पत्रांक 2068 दिनांक 13.11.2020 से भूमि आवंटन की अनापत्ति जारी की।

शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान जयपुर ने उनके पत्रांक 6(25)राज–6/2014पार्ट/96 दिनांक 03.11.2020 के द्वारा स्कूलों, कॉलेजो, चिकित्सालयो, धर्मशालाओं, तथा लोकोपयोगी अन्य भवनों के निर्माण हेतु अनाधिवासित सरकारी कृषि भूमियों का आवंटन के संबंध में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक प.5 (109) राजस्व–ब/60 दिनांक 20.07.63 के खण्ड 1 के द्वितीय परन्तुक में वर्णित किस्म की भूमियों (माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिबंधित भूमियों को छोडकर) का आवंटन राजकीय विभागों को उक्त आदेश के खण्ड 4 में वर्णित आंवटन प्राधिकारी द्वारा खण्ड 2 में निर्धारित आवंटित किये जा सकने वाले अधिकतम क्षेत्र तक, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना आवंटन की शक्तियाँ प्रदत्त की हैं।

संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ14 (1) राज–6/2005/03 दिनांक 12.01.16 के द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के (स्कूल, कॉलेज, चिकित्सालयो, धर्मशाला, सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ बिना कब्जे की सरकारी भूमि आवंटन) नियम, 1963 में संशोधन कर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु 6.5 एकड भूमि (हॉस्टल भवन खेल मैदान एवं अध्यापक एवं अन्य कर्मचारियो के आवासीय भवनो सहित) आवंटन का प्रावधान किया है।

जांच अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त उक्त शक्तियों के अनुसरण में आराजी खसरा नम्बर 1642 रकबा 1.64 है० में से 0.93 है० एवं 1657 रकबा 2.44 है० में से 1.70 है० कुल किता 02 रकबा 2.63 है० (6.5 एकड़) किस्म बारानी सोयम वाके ग्राम रौनीजाथान तहसील कठूमर की भूमि की किस्म खारिज कर राजस्थान भू राजस्व (स्कूल, कॉलेज, चिकित्सालय, धर्मशाला आदि सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माणार्थ राजकीय अनाधिवासित भूमि का आवंटन) नियम, 1963 के तहत कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान सरकार को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कठूमर (अलवर) की स्थापना हेतु 99 वर्षों की लीज पर निःशुल्क आंवटित करने के आदेश पारित किये गये हैं। अतः यह अपील अपीलान्ट खारिज कर जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.12.2020 को यथावत रखा जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय में बिना पक्षकार बनाये ही निर्णय पारित किया गया है। जिसके कारण उसे अपीलाधीन निर्णय की जानकारी होना पूर्ण रूप से पुष्ट नहीं होता है। अतः माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

जाहिर होता है कि आंवटन न्यायालय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, लक्ष्मणगढ जिला अलवर द्वारा जारी स्थगन से पूर्व ही किया जा चुका है। 91 की कार्यवाही हुई है जिससे यह स्पष्ट होता है कि समय–समय पर अतिक्रमी की बेदखली की गई है। निरंतर कब्जा साबित करने में विफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.12.2020 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.12.2020 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.12.2020 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ0प्रवीण कुमार)
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 18.11.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर